2048

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR

20 FEB 2010 854130

. 1 .

Advocate

Teh. Sardhana (Meerut)

विक्रय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालय: सरधना (मेरठ)।

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य): कृषि भूमि परन्तु निम्न भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विक्रय की जा रही है अतः आवासीय निर्धारित दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
2. सर्किल रेट सूची क्रमांक 1
3. सर्किल रेट सूची के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट 3000/—रुपये प्रति वर्ग मीटर
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन 11,12,280/— रुपये
5. सर्किल रेट अनुसार कीमत अंकन 9,30,000/—रुपये
6. ग्राम जटौली परगना दौराला
7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) भूमि खसरा नम्बर 1691/1 व 1720/1 मि0.
8. सम्पत्ति की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर): हैक्टेयर
9. विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 0.0310 हे0
10. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार): लागू नहीं. विक्रित सम्पत्ति ... से लगभग 50 ... की दूरी पर स्थित है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

उत्तर प्रदेश UTTA

20 FEB 2015

. 2 .

11. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि): लागू नहीं
12. सम्पत्ति की अवस्थिति: नगरीय क्षेत्र
13. पेड़ों का मूल्यांकन: लागू नहीं
14. बोरिंग/कुआं/अन्य: लागू नहीं
15. राष्ट्रीय, जनपदीय अथवा लिंक मार्ग लागू नहीं
16. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित है: नहीं
17. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0–5–2756/11–2008–500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार विकास शुल्क सहित 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 77,910/– रुपये, संलग्न स्टाम्प अंकन 78,000/– रुपये

विवरण विक्रित भूमि:

भूमिधरी भूमि खसरा नम्बर 1591/1, (एक हजार पांच सौ इक्यानवे बटा एक) रकबा 0.0060 हे0 (शून्य दशमलव शून्य शून्य छः शून्य हैक्टेयर) व 1720/1 मि0 (एक हजार सात सौ बीस बटा एक मिलजुमला) रकबा 0.0250 हे0 (शून्य दशमलव शून्य दो पांच शून्य हैक्टेयर) कुल 2 दो नम्बर कुल रकबा

[illegible]

([illegible])

([illegible])

[illegible] 16

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1- [illegible]

2- [illegible]

3- [illegible]

4- [illegible]

5- [illegible]

6- [illegible]

7- [illegible]

1 से 6 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20 FEB 2018 8541[illegible]2

0.0310 हे0 शून्य दशमलव शून्य तीन एक शून्य हैक्टेयर स्थित ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ

- इस विक्रय पत्र पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।
- विक्रेता तथा क्रेता अनुसूचित जाति से नहीं है।
- विक्रित भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है।
- पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक है।
- विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
- विक्रित भूमि पट्टी ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

हम कि बिजेन्द्र पुत्र श्री बलजीत निवासी दौराला, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ विक्रेतागण/प्रथम पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पांच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

एवं

मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15–यू.जी.एफ., इन्द्रप्रकाश, 21–बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0डी0 शर्मा निवासी गली नम्बर 2, साध नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली क्रेता / द्वितीय पक्ष

इस विलेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित विक्रयशुदा भूमि/भूखण्ड के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा काबिज़ भूस्वामी हैं तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उऋण है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय करने/हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु 5000 पाँच हज़ार रुपये

Rs 5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा यह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या आसामी जैसी न काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्वीजीशन या रिक्वीजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा सरकारी राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य विक्रय 11,12,280/- रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु 5000 Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 FEB

के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ व्यक्तियों की दशा में अंकन 11,12,280/- ग्यारह लाख बारह हजार दो सौ अस्सी रुपये जिसका आधा अंकन 5,56,140/- पाँच लाख छप्पन हजार एक सौ चालीस रुपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हाथ मै0 अंसल हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ., इन्द्रप्रकाश, 21-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री

विजेन्द्र सिंह

500Rs.

FIVE HUNDRED RUPEES

पी०वी० शर्मा निवासी निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली को विक्रय कर दिया और समस्त विक्रय मूल्य इसप्रकार कि अंकन 61,000/–रूपये नकद पेशगी तथा अंकन 10,61,280/–रूपये चैक नम्बर 261159 दिनांकित 18.02.2010 एक्सिस बैंक शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं न्याय के समक्ष प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कब्जा खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि

2048

भारत सरकार INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR

20 FEB 2008

. 1 .

Teh. Sardhana (Meerut) विक्रय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालय: सरधना (मेरठ)।

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य): कृषि भूमि परन्तु विक्रित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विक्रय की जा रही है अतः आवासीय निर्धारित दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
2. सर्किल रेट सूची क्रमांक 1
3. सर्किल रेट सूची के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट 3000/-रुपये प्रति वर्ग मीटर
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन 11,12,280/- रुपये
5. सर्किल रेट अनुसार कीमत अंकन 9,30,000/-रुपये
6. ग्राम पाटोली परगना दौराला
7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) भूमि खसरा नम्बर 1691/1 व 1760/1 मि0,
8. क्षेत्रफल की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर): हैक्टेयर
9. विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 0.0310 है0
10. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार): लागू नहीं [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

TWENTY THOUSAND RUPEES

बीस हजार रुपये

Rs. 20000

500Rs.

[redacted]

कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

दिनांक 20.02.2010 (बीस फरवरी सन दो हजार दस ई0)

मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ

Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE

[illegible] दा० 19-2-10 500
[illegible] स्टाम्प [illegible]
[illegible]
[illegible] सरधना (मेरठ)

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री प्रवीण कुमार
पुत्र श्री [illegible] सिंह
पेशा व्यापार
निवासी 1/179 [illegible] मेरठ
ने की [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible] मेरठ
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(कृष्ण कुमार यादव)
उप निबंधक सरधना
20-2-2010

500Rs.

FIVE HUNDRED RUPEES

19 FEB 20[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

[illegible] का नाम व पता : - [illegible]

[illegible] के लिए

[illegible] के लिए

क्र०.544.. दा.-19-2-10 50 d/-

का हस्ताक्षर बाद नं०.50 ...... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (मेरठ)

विक्रय पत्र

[illegible]1,280.00/	930,000.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] मेरठ

[illegible]

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/2/2010 समय 3.24 PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कृष्ण कुमार [illegible])

उप निबन्धक [illegible]

20/2/2010

[illegible]

विक्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

[illegible]

निवासी [illegible] मेरठ

क्रेता

श्री [illegible]

[illegible]

पुत्र श्री [illegible]

[illegible]

निवासी [illegible]

[illegible]

500Rs.

[redacted]

19 FEB 2010

नजरी नक्शा (Not to be scaled)

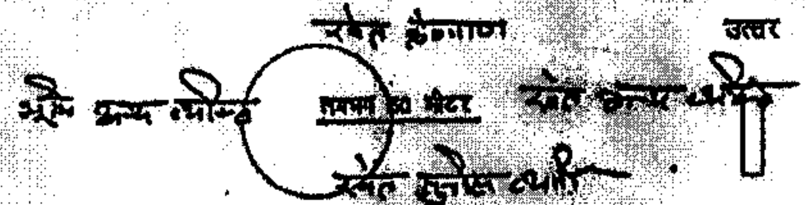

<u>विक्रय की गयी भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण</u>

1. मान सड़क
2. आवासीय/वाणिज्यिक, भूमि/भवन/औद्योगिक
3. चिकित्सा/धर्मार्थ/स्वास्थ्य केन्द्र
4. शैक्षणिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज
5. गैस गोदाम/पेट्रोल पम्प/बस अड्डा
6. होटल रेस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र
7. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमित कार्यालय
8. अन्य

घोषणा– किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

स०...56.. ता०..19-3-10.. रु 500
का स्टाम्प ड्राप स०...50 से अधिक विक्री
श्री.....मिश्रा
स्टाम्पवेण्डर
तह० सरधना (मेरठ)

क्रेता

Registration No.: [illegible] 2023 Year : 2,010 Book No. : 1

0201 ... द्वारा अधि० राजेन्द्र शर्मा

... नई दिल्ली

500Rs.

19 FEB 20..

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन में फिंगर

प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता या दावेदार का नाम व पता । -M/s. Ansal Housing & Construction Ltd. द्वारा अधिकृत

बायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न

दायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न

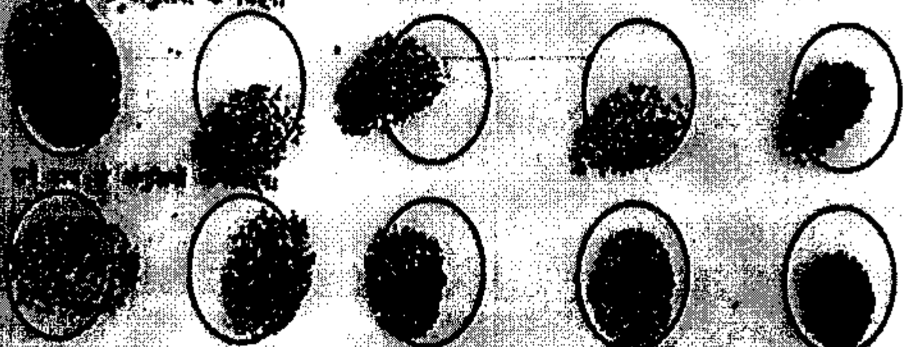

विजेन्द्र सिंह

स०..55.. ता०..19-3-10.. व..2001
का ग्राम झाव ल०..50..के दाखिल किया
[illegible]
(उप निबंधक)
[illegible] (मेरठ)

विक्रेता

Registration No.: 2028 Year : 2,010 Book No : 1

0101 विक्रेता
[illegible]
[illegible]
[illegible]

रु०...5 दि० 19.2.10 द. 500/-
का स्टाम्प क्रय रु० 50 ने ... [illegible]
मनोज मिश्र
स्टाम्प वेंडर
[illegible] (हाथरस)

आज दिनांक 20/02/2010 को

बही सं 1 जिल्द सं 2628

पृष्ठ सं 79 से 102 पर क्रमांक 2028

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कृष्ण कुमार यादव)

उप निबन्धक [illegible]

अ० नग 1